REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2024

''जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वनों का योगदान'' अलीराजपुर जिले के संदर्भ में

डॉ. बी. एल. पाटीदार
प्राध्यापक (भूगोल)
शासकीय महाविद्यालय, उमरबन, जिला धार (म. प्र.)

वालसिंह मावी
शोधार्थी (भूगोल)
माता जीजाबाई शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दे.अ.वि.वि. इन्दौर.

प्रस्तावना –

भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों का पाया जाना हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आधुनिक युग की खोज उपभोगवाद पर आधारित है किन्तु आदिम इतिहास के संदर्भ में आदिम जनजातीय का अध्ययन करना भी आधुनिक समाज की आवश्यकता है। ये आदिम आदिवासी जनजाति जंगलों में निवास करती है, जंगल ही इनका जीवन है तथा आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जनजाति अपने जंगली वातावरण में ही मदमस्त जीवन यापन करने के लिए बनी है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानवीय विकास का चक्र निरन्तर चलता रहता है। समाज का कर्तव्य है कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी–सम्पन्न जीवन–यापन करें। इस हेतु सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। वर्तमान परिवेश में आदिवासी जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। देश के सम्पूर्ण विकास में सभी समुदाय का सहयोग आवश्यक है, किसी एक समुदाय को छोड़कर देश का समग्र विकास नहीं किया जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व की अनेक मानव जातियों ने विकास का कदम एकसाथ रखा जिसमें से कुछ मानव जातियों ने अपना विकास परिष्कृत रूप से किया और आधुनिक प्रजातियों में आ गये। आधुनिक युग में अनेक आदिम जाति विलुप्त हो गई या विलुप्ति के कगार पर है, किन्तु भारतीय आदिम जनजाति ने अपने आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखा है जो कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषता है।

पराधीनता के समय में जब अंग्रेजों ने इनके निवास स्थलों पर अतिक्रमण किया तो ये सीधे–सादे आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध अपने परम्परागत हथियारों (तीर–धनुष, भाले) से लड़ाई लड़ी। ''बिरसा मुण्डा'' आदिवासी समुदाय ने आजादी की लड़ाई में नेतृत्व किया और अपनी साहसिक प्रवृत्ति का परिचय दिया। ये आदिवासी और जनजातियाँ जंगलों, नदी, नालों और जंगली जानवरों के बीच सदियों से सहचर करते आ रहे हैं। यदि कोई इनके क्षेत्रों में अतिक्रमण करें तो ये सीधे–सादे आदिवासी भी उग्र हो उठते हैं। ये आदिवासी समुदाय जो सदियों से

जंगलों में रहते आ रहे हैं। इन जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक विकास की कोई खास होड़ भी नहीं है, इसी कारण इस समुदाय में सदियों बाद भी विकासात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ये जनजाति अपने परिवार, समाज में ही खुश या सुखी–सम्पन्न है। ऐसा लगता है कि ये दूसरे समुदाय या समाज के लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं, और कोई समाजशास्त्री इसके बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो ये अपने इतिहास के बारे में जानते ही नहीं हैं या अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। वर्तमान में ये जनजाति अत्यंत पिछड़ी, गरीब, अभावग्रस्त और मुख्यधारा से विमुख है।

भारतीय समाज में किसानों, दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों और जनजातियों का एक ऐसा विशाल समूह हमेशा से विद्यमान रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सरकारी योजनाओं से हमेशा से ही वंचित और विकास से विमुख रहा है। सरकार ने पहले तो इन वंचित समूहों के विकास हेतु कोई खास योजना ही नहीं बनाई और यदि वर्तमान में इन समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बनाई भी गई तो सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ ये समूह नहीं उठा पा रहे हैं।

मध्यप्रदेश की अ.ज.जा. की अपनी विशिष्ट प्रकृति रही है। इन वर्गों की समस्याएँ भी बहुआयामी है, जिनका निदान चुनौतिपूर्ण है। मध्यप्रदेश की स्थापना के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग की सामाजिक जीवनवृत्त और सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्राथमिकताएँ तय की गई है।

जनजाति विकास को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने आदिम जाति कल्याण विभाग का गठन किया, जो सन् 1968 से कार्यरत है तथा सन् 1974 में शासन का प्रमुख विभाग का दर्जा प्रदान किया गया। वस्तुतः यह विभाग जनजातीय कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन कार्य कर रहा है जिनमें शिक्षा विषयक योजनाएँ प्रमुख है। इसके अतिरिक्त विभाग और मध्यप्रदेश शासन द्वारा रोजगार–स्वरोजगार, सामुदायक लाभ वाली योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है।

अध्ययन के उद्देश्य –

''आवश्यकता आविष्कार की जननी है।'' इस युक्ति के तर्ज पर यह कहा जाना ज्यादा बेहतर होगा कि ''समस्या शोध की जननी है।'' सभी अध्ययन (शोध) किसी न किसी शोध समस्या को लेकर ही किये जाते हैं, जिनमें किसी निश्चित प्रक्रिया के तहत् शोध उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। ताकि इन उद्देश्यों के द्वारा अध्ययन के लक्ष्य (समस्या का समाधान) को प्राप्त किया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों के सामाजिक आर्थिक आदि कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है जो वन एवं वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। उन मुद्दों को तलाश करने करने का प्रयास किया गया है, जो वन संरक्षण एवं विकास में आने वाली कठिनाइयों को उत्पन्न करते हैं। अतः अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख वनोपजों का उत्पादन एवं विपणन वर्तमान में ज्ञात करना है तथा इसमें विगत दो दशकों में आये परिवर्तन को जानना।
- अध्ययन क्षेत्र में विगत दो दशकों में वनों की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध का अध्ययन क्षेत्र

- प्रस्तावित शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश का अलीराजपुर जिला है। यह प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है तथा अनुसूचित जनजातीय बहुल जिला है। इसका विस्तार $21^0$55'20'' 31'4'' उत्तरी अक्षांश तथा $74^0$2'15'' से $74^0$45' पूर्वी देशांतर है तथा क्षेत्रफल 3182 वर्ग किलोमीटर जिसमें जिले का कुल वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 968.02 वर्ग किमी. है और कुल क्षेत्रफल में वनीयक्षेत्र का 28.28 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या 7,28,999 (2011) है जिसमें

ग्रामीण जनसंख्या 671925 तथा नगरीय 57074 हैं। क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 6,48,638 एवं 88.98 प्रतिशत है।

- 2001–2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 19.40 प्रतिशत रही तथा लिंगानुपात 1009 प्रति हजार पुरूष, साक्षरता 37.22 प्रतिशत, जनघनत्व 229 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 05 तहसीलों तथा 06 विकासखण्डों मेंविभाजित किया गया है। ये सभी विकासखण्ड अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है।

समग्र व इकाई –

- अलीराजपुर जिले में जनजातीय व वनीय क्षेत्रों की अवस्थिति विकासखण्ड अनुसार निम्नवत् है, जिनमें से चयनित ग्रामों की संख्या 28 है।

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या
1	अलीराजपुर	05
2	भाबरा	05
3	कट्ठीवाड़ा	06
4	सोण्डवा	04
5	जोबट	04
6	उदयगढ़	04
	कुल संख्या	28

- प्राथमिक सर्वेक्षण में निम्न साधनों का प्रयोग प्रस्तावित है –

अ) अवलोकन
ब) समूह चर्चा
स) साक्षात्कार

प्रस्तुत अध्ययन आर्थिक संदर्भ में जनजातीय तथा वनीय क्षेत्र बदलाव व विकास संबंधी है।

- **सामाजिक व्यवस्था**–प्रत्येक जनजाति वर्ग गौत्र में विभक्त है। गौत्र व्यवस्था रक्त नातेदारी संबंध पर आधारित है, इसलिए इनमें सगौत्री विवाह वर्जित है। यहाँ की जनजाति में टोटम का विशेष महत्त्व है। अपनी जनजाति के बाहर विवाह संबंधों को अनुचित माना जाता है और ऐसा करने वालों को समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है। समुदाय की पंचायत उस व्यक्ति को अर्थदण्ड देती है तथा क्षमा–याचना स्वरूप पशु बलि भोज का आयोजन किया जाता है। इन वर्गों में बहुपत्नि विवाह प्रथा सामान्यतः नहीं है, अपवाद स्वरूप कुछ लोगों की एक से अधिक पत्नियाँ है।

विवाह हेतु वर–वधु पक्ष में मध्यस्थ के माध्यम से वार्तालाप होती है, जिसे भानगड़िया कहते हैं। जिले के सभी जनजाति वर्गों में वधुमूल्य प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को नगद राशि, गहनों और अनाज के रूप में दिया जाता है, तथा दोनो पक्षों में वैवाहिक रस्मों को पूर्ण करने के लिए विवाह पूर्व या पश्चात् भोज हेतु पशुबलि के रूप में बकरों की माँग की जाती है। वधुमूल्य को आम बोलचाल की भाषा में 'दहेज' कहा जाता है। समय के साथ इन वर्गों में वधुमूल्य की राशि बढ़ती चली गई। भीलो में यह राशि 1 से 1.50 लाख रूपये तथा उससे अधिक हो गई है, जबकि भीलाला, बारेला और पटलियों में वधुमूल्य भीलों की तुलना में अपेक्षकृत कम लिया जाता है। भागकर या अपहरण पद्धति से विवाह करने पर वधुमूल्य की राशि ओर अधिक हो जाती है। यहाँ की जनजाति में विवाह समारोह पर दिल खोलकर भोज व शराब ताड़ी पर खर्चा करती है। विवाह विच्छेद पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आपसी सहमति से समुदाय की पंचायत के माध्यम से उचित मूल्य अदा कर विवाह विच्छेद की पद्धति प्रचलित है।

सामान्यतः यहाँ के जनजाति लोगों में मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए जनजाति वर्गों मे नुक्ता(बारवाँ,तेरवाँ) तथा अप्राकृतिक कारणों से मरने वालों के लिए मृतकों की प्रतिक मूर्ति 'गाता'(पुरूष मृतक) या 'सती'(स्त्री मृतक) का आयोजन किया जाता है। इन क्रिया कर्मों पर अत्यधिक धन खर्च किया जाता है।

उपरोक्त सामाजिक व्यवस्थाओं के चित्रण का महत्त्व इस बात में है,कि जनजातियों की आर्थिक स्थिति निम्न है। अध्ययन क्षेत्र की अधिकांष जनजाति गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करती हैं, इस कारण इन वर्गों को सामाजिक कार्य पूर्ण करने हेतु आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऋणग्रस्त जीवन–यापन हेतु मजबूर हो जाते हैं, जिससे अन्य शैक्षणिक, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकता के प्रति उदासीनता बनी रहती हैं।

➢ **आर्थिक व्यवस्था**–अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि आधारित है। इनकी मुख्य कृषि उपज मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, कुल्थीआदि है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जनजाति वर्ग पशुपालन तथा वनोपज संग्रहण जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, डोली, शहद, गोंद, जड़ी–बुटी आदि का संग्रहण भी करते है। मूलतः वनवासी होने के कारण ये लोग कुशल शिकारी भी हैं। वर्तमान में भी तीर–कमान, गोफन के माध्यम से शिकार कर लेते हैं।

साप्ताहिक हाट इनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जहाँ ये लोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति साप्ताहिक आधार पर करते हैं। हाट बाजारों से सप्ताह भर के लिए तेल, नमक, हल्दी मिर्च आदि वस्तुएँ खरीदतें है और बरसों से यह क्रम अनवरत जारी है। इन्हीं हाट बाजारों में यहाँ की जनजाति कृषि उपज, वनोपज को साहूकारों को बेचतें हैं। इस प्रकार इनकी दैनिक आवश्यकताओं तथा इनकी पूर्ति के स्त्रोत सीमित है। इन हाट बाजारों में निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को अधिक दाम में बेचकर व्यापारी वर्ग में जनजातियों का आर्थिक शोषण करने की प्रवृत्ति होती हैं। इन वर्गों में बचत की प्रवृत्ति ना के बराबर होती हैं। युवा पीढ़ी के आदिवासी मोबाईल, रेडियों, टी.वी, सायकल, मोटर सायकल आदि का उपयोग कर रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र की भौगालिक दशाएँ जनजातियों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। यहाँ मौसमी बेरोजगारी दिखाई पड़ती हैं। इस कारण रोजगार की तलाश में इनमें पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है।

तालिका क्र.
उत्तरदाताओं की जाति का अध्ययन

जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य	10	3.57
पिछड़ा वर्ग	15	5.35
अनुसूचित जाति	16	5.71
अनुसूचित जनजाति	239	85.35
योग	**280**	**100**

स्त्रोत–अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

रेखाचित्र क्र.
उत्तरदाताओं की जाति का अध्ययन

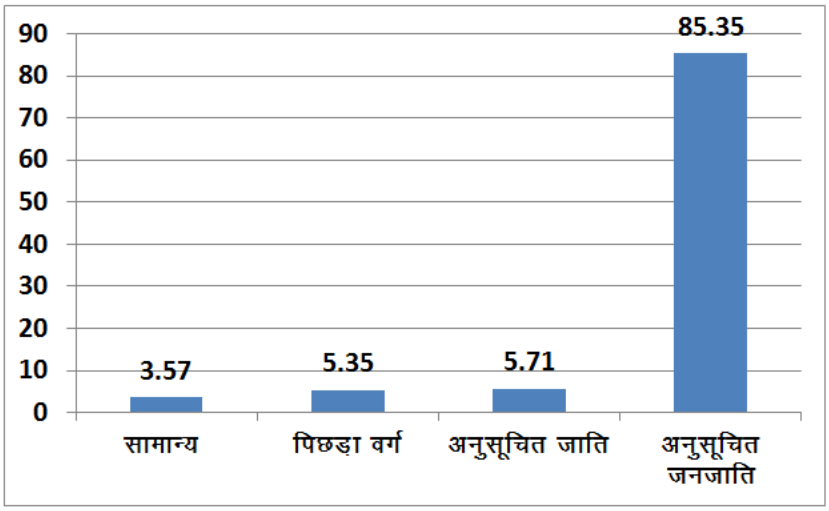

उपरोक्त तालिका के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं की जाति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 85.35 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति वर्ग के है जिसमें भील, भिलाला, पटलिया जनजाति सम्मिलित है। अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिशत 5.71 प्रतिशत है जिसमें चमार, बलाई, मौची, बागरी आदि सम्मिलित है, 5.35 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाता जिसमें तेली, नायक, लबानिया, लोहार, दर्जी, कुम्हार, नाई आदि सम्मिलित है।

सामान्य वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 3.57 प्रतिशत है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, महाजन आदि सम्मिलित है।

उपरोक्त अध्ययन अनुसार सबसे ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग का है।

तालिका क्र.
उत्तरदाताओं की व्यवसायिक संरचना का वर्गीकरण

क्रमांक	व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	209	74.64
2	मजदूरी	16	5.71
3	कृषि एवं मजदूरी	22	7.85
4	नौकरी	9	3.21
5	व्यवसाय	16	5.71
6	अन्य	8	2.85
	योग	**280**	**100**

स्त्रोत–अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

रेखाचित्र क्र. 3
उत्तरदाताओं की व्यवसायिक संरचना

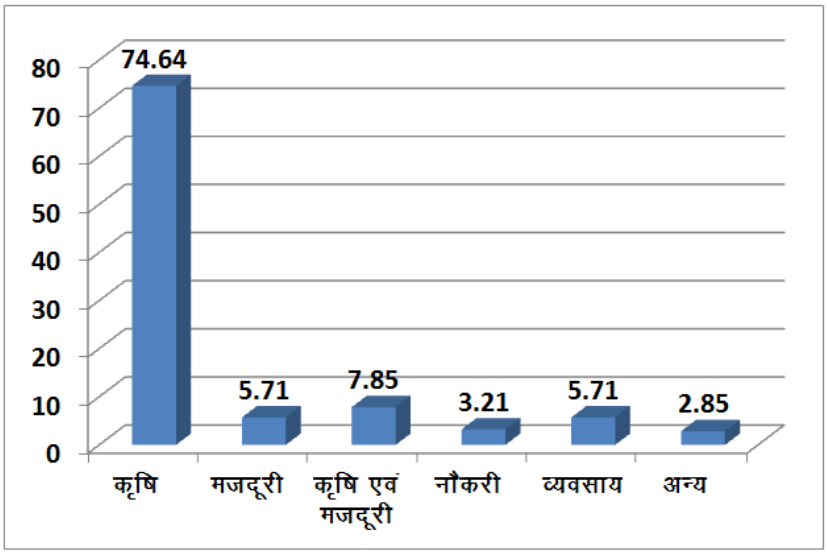

उपरोक्त तालिका के अनुसार शोध अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता वर्ग के व्यवसाय या कार्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 74.64 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में संलग्न है, 5.71 प्रतिशत उत्तरदाता मजदूरी, 7.85 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि एवं मजदूरी दोनों, 3.21 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी के कार्य में, 5.71 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसाय अर्थात बिजनेस कार्य करते है जबकि 2.85 प्रतिशत उत्तरदाता वर्ग उपरोक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न देखे गये। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र के उत्तरदाताओं के वर्ग की बहुत बड़ी संख्या कृषि कार्य में है, जिसका कारण जीविकोपार्जन कृषि से होना देखा गया। लेकिन शिक्षा का भी धीरे–धीरे आजादी के बाद से तीव्र प्रसार देखा गया, जिसके कारण उत्तरदाताओं के परिवार से 3.21 प्रतिशत नौकरी में भी पाये गये। इसके अलावा अलग–अलग कार्यों में भी रुचि देखी गयी।

तालिका क्र.
उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप की जानकारी

परिवार का प्रकार	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
एकाकी परिवार	110	39.28
संयुक्त परिवार	170	60.71
योग	**280**	**100**

स्त्रोत–अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

रेखाचित्र क्र.
उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप की जानकारी

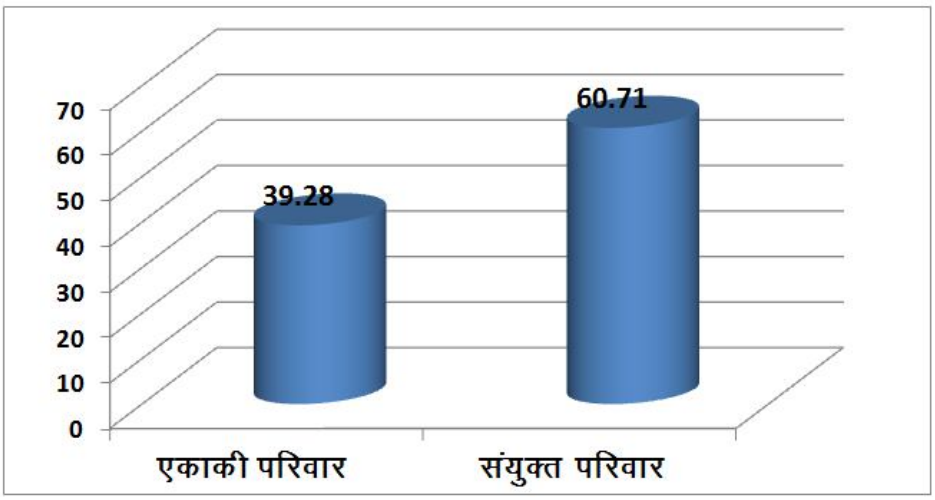

उपरोक्त तालिका के अनुसार शोध अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता परिवारों के पारिवारिक स्वरूप का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की समग्र संख्या में 39.28 प्रतिशत परिवार एकाकी परिवार है, जबकि 60.71 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार में निवासरत है। यह वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि आज भी आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर वनों से सटे ग्रामों में एक बहुत बड़ा प्रतिशत संयुक्त परिवार का है। शोध अध्ययन के दौरान यह बिंदु भी उभरकर सामने आया कि जंगली जानवरों से रक्षा और खेतों में सम्मिलित कार्य करने की उपयोगिता के कारण संयुक्त परिवार में रहते है जबकि एकाकी परिवार में रहने का कारण या तो पारिवारिक सदस्यों की कमी है या शहरों की ओर परिवार के अन्य सदस्यों का पलायन है। इस प्रकार संयुक्त परिवार का एक अच्छा उदाहरण शोध क्षेत्र में देखने को मिला है।

तालिका क्र.
पिछली पीढ़ियों की तुलना में उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

क्रमांक	आर्थिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पहले से बेहतर	186	66.42
2	वैसे ही है	52	18.57
3	और निम्नतर हो गई	42	15
	योग	**280**	**100**

स्त्रोत–अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

रेखाचित्र क्र.
उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

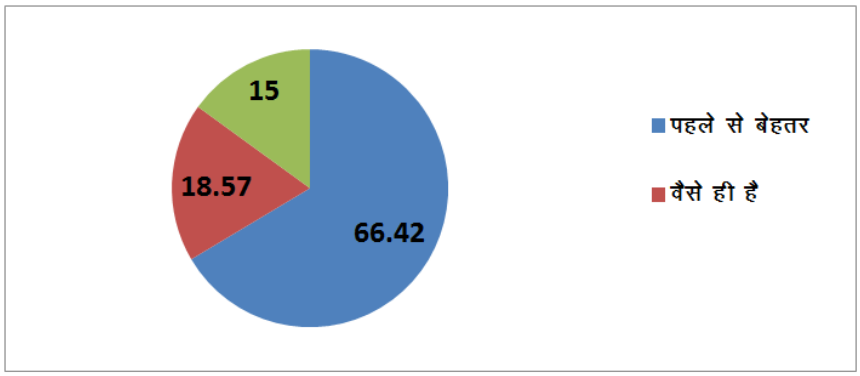

उपरोक्त तालिका के अनुसार शोध अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं की पिछली पीढ़ियों की तुलना में आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि 66.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्थिति पिछली पीढ़ियों की तुलना में बेहतर है। 18.57 उत्तरदाताओं के अनुसार वैसी ही है, जैसी पहले से थी। 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक स्थिति और निम्नतर हो गयी। इस प्रकार उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होने का कारण कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी, मजदूरी मूल्य का बढ़ना व्यवसाय में बढ़ोत्तरी आदि देखे गये। इसकी तुलना में 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति निम्नतर है, जो कि चिंता का विषय है। इनकी स्थिति के सुधार हेतु शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा में सुधार तथा बुनियादी सुविधा का भी विस्तार जरूरी है।

निष्कर्ष

- प्रस्तुत शोध अध्ययन में सबसे ज्यादा प्रतिशत हिन्दू उत्तरदाताओं का पाया गया जो कि 76.07 प्रतिशत है, इसके बाद ईसाई उत्तरदाता 8.92 प्रतिशत है तथा मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध तथा अन्य उत्तरदाताओं का कुल प्रतिशत 15 प्रतिशत के लगभग पाया गया।
- जाति का अध्ययन करने पर सबसे ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग का है जो कि 85.35 प्रतिशत है। इसका सबसे बड़ा कारण अलीराजपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसके बाद अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग आते है। सामान्य वर्ग केवल 3.57 प्रतिशत उत्तरदाता है।
- शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं की व्यावसायिक संरचना अर्थात कामकाज का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कृषि कार्य में संलग्न उत्तरदाता का प्रतिशत 74.64 प्रतिशत है, मजदूरी करने वाले का 5.71 प्रतिशत, कृषि मजदूरी दोनों करने वाले का 7.85, नौकरी करने वाले 3.23 प्रतिशत तथा 2.85 प्रतिशत लोग अन्य व्यवसाय में संलग्न है।

सुझाव

- वनों के संरक्षण की अति आवश्यकता है, इसके लिए शासन को नीति बनाकर अनावश्यक कटाई पर रोक लगानी चाहिए।
- वनों के द्वारा लकड़ी के साथ–साथ फल–फूल तथा अनेक औषधीय सामग्रियाँ भी प्राप्त होती है, उनकी जानकारी तथा प्रयोग के बारे में आदिवासियों को अवगत कराना चाहिए।
- वृक्षारोपण के लिए पानी हेतु विशेष नहर योजना के साथ–साथ ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
- विपणन योग्य वृक्षों और फलों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- जनजाति और वनों के मध्य पारंपरिक संबंधों के बचाये रखने के लिए खनन तथा वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। जिससे पर्यावरण सुधार के साथ–साथ वनोपज में वृद्धि होती है।

संदर्भ सूची –

- डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव, अनुसन्धान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृ. 399
- देवी अनिता, आदिवासी संघर्ष एवं संवैधानिक प्रावधान (मानवाधिकार के संदर्भ में) मूक आवाज, अंक 5
- देवांगांवकर एस.जी. (1994) ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
- दुबे डॉ. संजीव (1995) मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास योजनाएँ, येाजना, नई दिल्ली, मार्च 1995, पृ.
- द्विवेदी परेश (2006), जनजातीय क्षेत्र और नियोजित विकास, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
- Distric Plan, Govt. Of Madhya Pradesh, State Planning Commission Madhya Pradesh, Bhopal India (SPC)
- फड़ीया डॉ. बी.एल. (2009), लोक प्रशासन, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा, अवधारणा पृष्ठ 101